रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 21, 1974/फाल्गुन 2, 1895

No. 82] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1974/PHALGUNA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 16th February, 1974

S.O. 113 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule given below in all its/their

language versions to be of the description specified against it each in column 6 of the said Schedule :—

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	INR No. 1317	158·00 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with News and Current Events.
2	INR No. 1318	210·00 Metres	Do.		Do.
3	INR No. 1319	168·00 Metres	Do.		Do.
4	Amir Khusro	329·00 Metres	Do.		"Educational"
5	Portrait of a Prime Minister	466·00 Metres	Do.		"Documentary"
6	Petroleum Crisis	127·00 Metres	Do.		"Educational"
7	Delightful Nature.	334·67 Metres	Dev Jani Chaliha and Associates, P-21, Golf Club Road, Calcutta —33		Do.
8	Pride of Nature	327·96 Metres	Dev Jani Chaliha and Associates, P-21, Golf Club Road, Calcutta-33.		Do.
9	Balak Ki Uljhan (colour)	137·16 Metres	M/s. U. K. Films, 140 North Bombay Society Juhu, Bombay-54.		Do.
10	Mela Shikar	516·33 Metres	Shri A. Imam, The Wild Sports of India The Grove, P. O. Hazari Bagh, Bihar.		"Documentary"
11	Mehmaan	178·31 Metres	Shri Bhim Sain, Climb Films, 27-Neel Varsha, Off Mori Road, Mahim, Bombay-16.		"Educational"

1	2	3	4	5	6
12	Sukha (Happiness)	285·00 Metres	Lt. Cdr. C.N.B. Menon, Tata Deptt. of Plastic Surgery, JJ Group of Hospitals, Byculla, Bombay-8.	Dr. Hans Zickendraht Hollikon, Zurich.	Documentary
13	Aabadi	73·15 Metres	R. K. Productions, 29, Sushila Sadan, Manchhubhai Road, Malad (:East), Bombay-64.		Educational

[No. F. 28/2/74-F-P. App. 1878]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

एस० ओ० 113 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उन के सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
(1)	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1317	158.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24—पैडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म
(2)	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1318	210.00 मीटर	—तथैव—		—तथैव—
(3)	भारतीय समाचार समीक्षा स० 1319	168.00 मीटर	—तथैव—		—तथैव—
(4)	अमीर खुसरू	329.00 मीटर	—तथैव—		"शिक्षा संबंधी"

1	2	3	4	5	6
(5)	पोरट्रेट आफ प्राइम मिनिस्टर	466.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26।		"डाकुमेंट्री"
(6)	पेट्रोल स्टेशन	127.00 मीटर	—तथैव—		"शिक्षा संबंधी"
(7)	डिलाटफुल नेचर	334.67 मीटर	देवजनी चलीहा एण्ड एसोसिएशन, पी-21, गोल्फ क्लब रोड, कलकत्ता-3।		—तथैव—
(8)	प्राइड आफ नेचर	327.96 मीटर	—तथैव—		—तथैव—
(9)	बालक की उलझन	137.16 मीटर	मैसर्स यू० के० फिल्मस, 140 नार्थ बाम्बे सोसाइटी, जुहू, बम्बई-54		—तथैव—
(10)	मेला शिकार	516.53 मीटर	श्री ए० अमान दी वाइल्ड एर्पोट्स आफ इंडिया, दी ग्रोव, पोस्ट आफिस हजारी बाग, बिहार।		"डाकुमेंट्री,"
(11)	मेहमान	178.31 मीटर	श्री भीम सेन, क्लाइम्ब फिल्म्स, 27 नील वर्ष आफ मोरी रोड, महीम, बम्बई।		"शिक्षा संबंधी"
(12)	सुख	285.00 मीटर	लै० कमांडर सी०एन०बी० मेनन, टाटा डिपार्टमेंट आफप्लास्टिक सर्जरी, जे० जे० ग्रुप आफ हास्पीटल्ज, बैकुला, बम्बई-8।	डा० हंस जिकेन्द्रहट, होल्लीकन जूरिच।	"डाकुमेंट्री"
(13)	आबादी	73.15 मीटर	आर० के० प्रोडक्शंस, 29, सुशीला सदन, मनचुभाई रोड, मलाद (पूर्व), बम्बई-64।		"शिक्षा संबंधी"

[सं० फा० 28/2/74-एफ०पी०-परिशिष्ट 1878]

S.O. 114(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactment specified in the First Schedule, annexed hereto, the Central Government after considering the recommend ations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule, annexed hereto, in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule :—

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film.	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Saaf Safai	106·68 Metres	Dir. of Publicity, Government of Maharashtra 68-Tardeo Road, Bombay-34.		Educational (For release in Maharashtra Circuit only).
2	Interview	213·36 Metres	Do.		Do.
3	Nirdosh Bajari	131.06 Metres	Do.		Do.
4	Kalyancha Marg.	152·40 Metres	Dir. General of Information & Public Relations, Govt. of Maharashtra Films Centre, 68 Tardeo Road, Bombay-34.		Do.

[No. F. 28/2/74-FP App. 1879]

एस० ओ० 114 (अ).—इस के साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं में रूपांतरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चल चित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) 1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकु-मैन्ट्री फिल्म है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	साफ सफाई	106.68 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेन्टर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34	"शिक्षा संबंधी" (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिये) ।	
(2)	इंटरव्यू	213.36 मीटर	—तथैव—	—तथैव—	
(3)	निर्दोष बाजरी	131.06 मीटर	—तथैव—	—तथैव—	
(4)	कल्याणचा मार्ग	152.40 मीटर	डायरेक्टर जनरल आफ इन्फारमेशन एंड पब्लिक रिलेशन्ज, महाराष्ट्र सरकार फिल्म सेन्टर, 68-तारदेव रोड, बम्बई-34.	—तथैव—	

[सं० फा० 28/2/74—एफ० पी० परिशिष्ट 1879]

S. O. 115(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule, annexed hereto, the Central Government, after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in columns 2 of the Second Schedule annexed hereto, in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule :—

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematographs Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (4) of Section 5 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Punjab Act XI of 1952).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant.	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & Current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Haryana Samachar Darshan No. 11	284·38 Metres.	Dir. of Public Relations, Haryana Govt., Chandigarh.	Dir. of Public Relations, Haryana Govt., Chandigarh.	News and Current Events (For release in Haryana Circuit).
2.	Haryana Samarchar Darshan No. 13	304·50 Metres	R. P. Kesarl, Deputy Director, Public Relations, Haryana Govt., Chandigarh.		Do.

[No. F. 28/2/74-FP. App. 1880].

एस० ओ० 115(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) पंजाब सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 (1952 का 11 वां पंजाब अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) .

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मी०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हरयाणा समाचार दर्शन संख्या 11	284.38 मीटर	प्रचार निदेशक, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल हरयाणा सर्किट के लिए)।
2.	हरयाणा समाचार दर्शन संख्या 13	304.50 मीटर	श्री आर० पी० केसरी, उप प्रचार निदेशक, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल हरयाणा सर्किट के लिए)।

[सं० फा० 28/2/74—एफ० पी० परिशिष्ट 1880]

S.O. 116(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule, annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule, annexed hereto, in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 7 of the said Second Schedule :—

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952.)

(2) Sub-Section (3) of the Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinema (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Mahitichitra No. 177.	289·56 Metres.	Director of Information, Govt. of Gujarat Sachivalaya, Gandhi Nagar (GUJARAT)		Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).
2.	Mahitichitra No. 178.	289·56 Metres	Do.		Do.

[No. F. 28/2/74-F P. App. 1881].

K. P. K. NAYAR, Under Secy.

एस० ओ० 116(अ).—इस के साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके गजराती भाषा रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	महिती चित्र सं० 177.	289.56 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधीनगर।		समाचार और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)

1	2	3	4	5	6
2.	महिती चित्र सं० 178.	289.56 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधीनगर।	समाचार और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)	

[सं० फा० 28/2/74 एफ पी० परिशिष्ट 1881]

के० पी० के० नायर, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974